पत्रांक– एस0एस0– एक–निर्देश/2020–21/ 243 /वाणिज्य कर

महत्वपूर्ण समीक्षात्मक

कार्यालय:कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0।
(संख्या अनुभाग)
लखनऊ:दिनांक: 04 सितम्बर, 2020

समस्त
जोनल एडीशनल कमिश्नर,
ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक)
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

आप अवगत है कि अनलॉक 4 के अन्तर्गत समस्त आर्थिक गतिविधियां प्रारम्भ कर दी गयी है। मा0 मुख्यमंत्री जी के ट्वीट दिनांक 01.09.2020 में कहा गया है कि जीएसटी की समीक्षा की जाए। जीएसटी के तहत राजस्व संग्रह की वह स्वयं समीक्षा करेंगे। इसी क्रम में राजस्व मण्डल सहारनपुर की वर्चुअल बैठक दिनांक 02.09.2020 को तथा अयोध्या मण्डल की बैठक दिनांक 03.09.2020 को उनके द्वारा की जा चुकी है।

2– दिनांक 03.09.2020 की अयोध्या मण्डल की वर्चुअल बैठक में जीएसटी की समीक्षा करते हुए मा0 मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जीएसटी राजस्व संग्रह पर विशेष ध्यान दिया जाए। जीएसटी प्राप्ति के लिए अधिक से अधिक व्यापारियों का पंजीकरण हो।

3– निर्देशित किया जाता है कि कृपया राजस्व संग्रह वृद्धि हेतु विभाग के दिये गये Functional लक्ष्य पर अधिक से अधिक कार्य किया जाए। वेबसाइट के वैट एमआईएस के जीएसटीएन के अन्तर्गत राजस्व संग्रह के बनाए गए अधिकारीवार संग्रह, खण्डवार संग्रह, डीलरवार संग्रह, वस्तुवार संग्रह व बिग डीलवार संग्रह से व्यापारी के देय राजस्व की समीक्षा की जाए। परीक्षणोपरान्त जहां विसंगति हो विधिक कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाए और देय राजस्व को हरसम्भव प्रयास करके जमा कराया जाए। वैट के अन्तर्गत ऐसी अधिकांश आर0सी0 पड़ी है, जिसकी फर्म नियमित रूप से चल रही है, उनमें तत्काल वसूली करायी जाए। वैट बकाया वसूली की ब्याज माफी समाधान योजना दिनांक 31.10.2020 तक प्रचलित है, इसमें बकाएदारों को प्रेरित करके बकाया वसूली में तेजी लायी जाए।

माह मार्च, 20 से लेकर अगस्त, 20 तक के सभी माहों के विभिन्न टर्नओवर के डीलर के रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि सितम्बर माह में ही है। सितम्बर माह में रू0 5 करोड़ टर्नओवर से कम के डीलर के रिटर्न दाखिला की तिथि मई माह के लिए 15 सितम्बर, जून माह के लिए 25 सितम्बर, जुलाई माह के लिए 30 सितम्बर है। इस प्रकार सितम्बर तक सभी व्यापारियों के रिटर्न दाखिल हो जाने है, उनको अनुस्मारित कराए जाए, उनके रिटर्न दाखिल कराते हुए देय राजस्व को जमा कराया जाए। प्रयास किया जाए की पंजीकरण हेतु अर्ह कोई भी व्यापारी जीएसटी पंजीयन से वंचित न रहे और सभी जोन मा0 मुख्यमंत्री द्वारा दिये गये पंजीयन के लक्ष्य को पूर्ण करने का हर सम्भव प्रयास करें।

(अमृता सोनी)
कमिश्नर,वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।